

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल -04/2026-

पटना, दिनांक- / /2026

डा० सुमन कुमार, प्राध्यापक, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को अपने निजी खर्च पर दिनांक-01.09.2026 से 12.09.2026 तक की अवधि में विदेश (आस्ट्रेलिया) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० कुमार, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
3. डा० कुमार, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
4. डा० कुमार, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
5. डा० कुमार, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
6. डा० कुमार, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
8. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय आदेश संख्या-366(17) दिनांक-24.03.2026 को रद्द किया जाता है।
9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

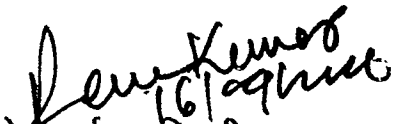
ह०/-
(रिणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं. 17/एल -04/2026- 1197(17) /पटना, दिनांक-16/09/2026

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/डा० सुमन कुमार, प्राध्यापक, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।